

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 5 और 7)-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चांदन
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- सुप्रीन्द कुमार यादव
R.A.S

सिरदार रामपुत्र सुप्रीन्द उन्वान सुदाशम पि० तेजा वंश
जाति जाट पि० साईयो का बनाम जाति जाट पि० साईयो का तला
तला चांदन तला चांदन

दावा बाबत 88 RAH
मुकदमा नम्बर :- 168/18 डि. 29.6.18

निर्णय दिनांक :- 29.6.18
वादी की ओर से सिरदार रामपुत्र व प्रतिवादी की ओर से की
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.6.18 को (नाम पीठासीन अधिकारी).....
उपखण्ड अधिकारी, चांदन के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और
डिक्री दी जाती है कि -

वादी का तला चापसी सहित पि० साईयो का मौजा तला पटवार क्षेत्र तला
देखत ख.न. 575/109, 573/108 व मौजा तला तला पटवार क्षेत्र तला
तला शहांगन देखत ख.न. 1093, 1094, 1151 भूमि में वादी का नाम
पदमाराम केन्धान पर सुदामा सिरदार रामपुत्र काने की
बोपणा की जाती है। निर्णय की पालना हेतु तला तला तला
की डिक्री दिया जाता है।



खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख 29.6.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुप्रीन्द)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,